

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान (स.अ.) सहायता, दान या अंशदान के रूप में भुगतान का तरीका है जो कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों, निकायों और संस्थानों को दिया जाता है। उसी प्रकार, राज्य सरकार भी सहायता अनुदान का संवितरण अभिकरणों, निकायों और संस्थानों यथा विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य को करती है। इस तरह निर्गत अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों और संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन के व्यय की प्रतिपूर्ति और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वित्त नियमावली (झा.वि.नि.) का नियम 341 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतना ही सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए जिनके व्यय होने की संभावना उस वर्ष के दौरान हो, सहायता अनुदान के लिए विपत्र को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को यह देखना चाहिए कि राशि की निकासी आवश्यकता से पूर्व नहीं की जाये।

झा.वि.नि. का नियम 342 बतलाता है कि यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हैं तो विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुदान ग्राहियों से प्रपत्र जी.एफ.आर.-19ए में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 तक आहरित सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध, ₹ 22,325.68 करोड़ के कुल 8,382 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2016 के अन्त तक

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

बकाये थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग पाँच विभागों यथा शिक्षा विभाग (₹ 9,862.90 करोड़ के कुल 217 उ.प्र.प.), नगर विकास विभाग (₹ 2,400.98 करोड़ के कुल 4,770 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹ 603.78 करोड़ के कुल 693 उ.प्र.प.), उद्योग विभाग (₹ 165.89 करोड़ के कुल 131 उ.प्र.प.) और सहकारी विभाग (₹ 156.09 करोड़ के कुल 126 उ.प्र.प.) के विरुद्ध बकाये थे। विभागवार बकाया उ.प्र.प. का वर्गीकरण परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

30 जून 2016 तक बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि घटकर क्रमशः 8,288 एवं ₹ 18,904.41 करोड़ हो गई जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (30 जून 2016 तक)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2010-11 तक	2011-12 तक	2481	1138.43
2011-12	2012-13	555	438.46
2012-13	2013-14	1068	1391.03
2013-14	2014-15	1590	1979.95
2014-15	2015-16	2594	13956.54
प्रतीक्षारत उ.प्र.प. की कुल संख्या		8288	18904.41

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2015-16

आगे, जुलाई 2016 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों के तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 3.2 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (30.06.2016 को) वाले प्रमुख विभाग (₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	4	27.20	3	42.00	12	404.49	155	9271.16
2	ग्रामीण विकास	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	2491.55
3	पंचायती राज व एन.आर.ई.पी.	18	21.85	44	450.04	505	673.67	1129	2135.31
4	ऊर्जा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1852.02
5	शहरी विकास	319	117.20	810	441.35	889	432.19	950	897.67
6	कल्याण	135	11.63	98	166.11	152	166.77	215	226.26
कुल योग		476	177.88	955	1099.50	1558	1677.12	2474	16873.97

जैसा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, वर्ष 2015-16 के दौरान एक बड़ी राशि मानव संसाधन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज व एन.आर.ई.पी. तथा ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न अभिकरणों को सहायता अनुदान के रूप में दिये गये थे। इतनी बड़ी

वृद्धि होने का प्रमुख कारण राज्य बजट के माध्यम से राज्य के कार्यान्वित अभिकरणों को केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधियों का दिया जाना था।

अभीष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदानों की उपयोगिता ससमय सुनिश्चित करने हेतु वृहद धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों एवं कार्य प्रणालियों के अनुपालन में विफलता को इंगित करता है।

वर्ष 2006-15 की अवधि हेतु अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास (न.वि. एवं आ.) विभाग के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

3.1.2 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2016 तक न.वि. एवं आ. विभाग से संबन्धित ₹ 2,399.08 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार स्थिति तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3 : वर्ष 2006-15 के दौरान न.वि. एवं आ. विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 तक संवितरित सहायता अनुदान के मद में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करन वाले विवरण

सहायता अनुदान के सवितरण के वर्ष	न.वि. एवं आ. विभाग के अंतर्गत शीर्ष (₹ करोड़ में)							
	2215		2217		4217		कुल	
	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
2006-07	51	7.62	98	15.77	32	0.44	181	23.83
2007-08	43	4.18	37	2.47	105	38.50	185	45.15
2008-09	138	16.91	80	5.26	121	89.85	339	112.02
2009-10	192	12.77	183	14.60	192	166.27	567	193.64
2010-11	296	61.96	195	69.17	3	5.00	494	136.13
2011-12	150	81.54	169	35.66	0	0.00	319	117.20
2012-13	80	65.01	597	192.47	133	183.87	810	441.35
2013-14	165	65.75	722	366.19	2	0.25	889	432.19
2014-15	255	206.01	695	691.56	0	0.00	950	897.57
कुल	1370	521.75	2776	1393.15	588	484.18	4734	2399.08

हमने पाया कि वर्ष 2006-15 के ₹ 2,399.08 करोड़ की राशि के 4,734 उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग में 31 मार्च 2016 तक बकाए थे। उपरोक्त दर्शाये तालिका के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक ₹ 2,399.08 करोड़ की बकाया राशि के 4,734 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 484.18 करोड़ के 588 उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूँजीगत सृजन हेतु थे।

आगे, 10 नमूना-जाँचित शहरी स्वायत्त निकायों के विस्तृत जाँच ने उजागर किया कि ₹ 520.00 करोड़ के 947 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को सितंबर 2016 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके ब्यौरे तालिका 3.4 में दिये गए हैं।

तालिका 3.4 : महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को नहीं सौंपे गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या (2006-07 से 2014-15)	शीर्ष 2215	शीर्ष 4217	शीर्ष 2217	कुल
1	राँची नगर निगम	105	1393.03	3170.10	16621.34	21184.47
2	बुण्डू नगर पंचायत	59	1958.36	58.99	1205.24	3222.59
3	साहिबगंज नगर परिषद	96	729.55	157.25	5992.25	6879.05
4	गोड्डा नगर पंचायत	99	169.14	35.94	1614.43	1819.51
5	जामताड़ा नगर पंचायत	100	152.23	20.12	1845.06	2017.41
6	लोहरदगा नगर परिषद	116	129.64	306.84	3248.54	3685.02
7	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	87	1506.99	124.31	4035.17	5666.47
8	जुगसलाई नगरपालिका	94	739.79	60.73	673.25	1473.77
9	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	98	2173.92	180.95	1820.20	4175.07
10	आदित्यपुर नगर परिषद	93	75.11	142.08	1659.40	1876.59
कुल		947	9027.76	4257.31	38714.88	51999.95

इकाईयों के नमूना-जाँच के दौरान उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्न कारण सूचित किए गए। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

3.1.3 अनुदानों का अनुपयोग

निम्नलिखित इकाईयों के नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि 146 अनुदानों द्वारा प्राप्त ₹ 4,348.53 लाख की राशि मार्च 2016 के अंत तक अप्रयुक्त थी।

तालिका 3.5 : अप्रयुक्त अनुदानों का इकाई-वार ब्यौरे

क्र.सं.	शहरी स्वायत्त निकाय का नाम	अवधि	आहरित अनुदानों की संख्या जो अप्रयुक्त रही	राशि (लाख में)
1	राँची नगर निगम	2006-07 से 2014-15	4	706.65
2	बुण्डू नगर पंचायत		12	295.21
3	साहिबगंज नगर परिषद		37	730.37
4	जामताड़ा नगर पंचायत		8	475.84
5	लोहरदगा नगर परिषद		21	687.82
6	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति		14	1012.94
7	जुगसलाई नगरपालिका		50	439.70
कुल			146	4348.53

यह देखा गया कि उपरोक्त तालिका में दिखाये गए कुल ₹ 4,348.53 लाख में से ₹ 1,218.32 लाख की एक वृहद राशि स्वच्छता कार्य हेतु तथा ₹ 2,601.35 लाख की राशि सड़कों के लिये चार इकाईयों (लोहरदगा, जमशेदपुर, बुण्डू एवं साहिबगंज) को दी गई थी।

3.1.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

10 इकाईयों के नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 28,015.60 लाख के 511 उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यकारी अभिकर्ताओं द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपे गए लेकिन काफी विलंब के बाद भी संबन्धित विभाग द्वारा इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत नहीं किए गए। संबन्धित कार्यकारी अभिकर्ताओं द्वारा विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में एक माह से 106 माह तक विलम्ब किया गया जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

तालिका 3.6 : उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में इकाई-वार विलम्ब

क्र. सं.	शहरी स्वायत्त निकाय का नाम	विभाग को प्रस्तुत किए गए उ.प्र.प. की संख्या	राशि (लाख में)	विलम्ब (माह में)
1	राँची नगर निगम	47	8037.58	1-39
2	बुण्डू नगर पंचायत	30	2854.91	2-52
3	साहिबगंज नगर परिषद	39	5265.93	2-62
4	गोड्डा नगर पंचायत	27	613.23	2-37
5	जामताड़ा नगर पंचायत	31	901.00	2-24
6	लोहरदगा नगर परिषद	82	2453.48	2-61
7	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	68	4213.25	1-25
8	जुगसलाई नगरपालिका	40	479.34	1-45
9	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	64	1424.71	1-106
10	आदित्यपुर नगर परिषद	83	1772.17	3-106
कुल		511	28015.60	

3.1.5 निधि व्यक्तिगत बही/बैंक खाते में रखना

आगे, 10 नमूना-जाँचित शहरी स्वायत्त निकायों के विस्तृत जाँच में यह पाया गया कि मार्च 2016 के अंत तक ₹ 848.44 करोड़ की राशि पी.एल. खाते में एवं ₹ 263.36 करोड़ की राशि बैंक खाते में रखे गए थे जैसा तालिका 3.7 में विस्तृत है:

तालिका 3.7 : व्यक्तिगत बही (पी.एल.)/बैंक खाते में रखी गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शहरी स्वायत्त निकाय का नाम	31.03.16 को पी.एल. खाते में अंत शेष	31.03.16 को बैंक खाते में अंत शेष	31.03.16 को कुल अंत शेष
1	राँची नगर निगम	622.77	226.11	848.88
2	बुण्डू नगर पंचायत	19.93	0.25	20.18
3	साहिबगंज नगर परिषद	36.75	शून्य	36.75
4	गोड्डा नगर पंचायत	12.78	शून्य	12.78
5	जामताड़ा नगर पंचायत	5.37	0.54	5.91
6	लोहरदगा नगर परिषद	16.37	10.73	27.10
7	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	60.66	23.09	83.75
8	जुगसलाई नगरपालिका	5.85	0.46	6.31
9	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	40.01	0.97	40.98
10	आदित्यपुर नगर परिषद	27.95	1.21	29.16
कुल		848.44	263.36	1111.80

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा

3.2.1 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य के 74 निकायों/प्राधिकरणों में से 69 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अगस्त 2016 तक विभिन्न अवधियों में की गई जिसे परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त आकलन की आवश्यकता है कि ये लेखे तय समय सीमा के अन्दर संकलित किये गये हैं एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गये हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय अनियमिततायें, यदि कोई हो, गुप्त न रह जाए।

3.2.2 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे पाँच स्वायत्त निकायों¹ हैं जिनकी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, की धारा 19 के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

पाँच स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण तालिका 3.8 में दिये गये हैं।

तालिका 3.8 : स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जब तक लेखे दिये गये	वर्ष जब तक एस.ए.आर निर्गत हुये	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2010-11	2010-11	सूचित नहीं	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखे अभी तक (अगस्त 2016) अप्राप्त हैं।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)	2014-15	2011-12	सूचित नहीं	वर्ष 2015-16 के लेखे अभी तक अप्राप्त हैं।
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	सुपुर्दगी (2009) से अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	सक्रिय प्रयास के बावजूद किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु सितंबर 2016 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास)	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु अब तक प्रस्तुत नहीं किये गये, तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया जा रहा है।
5	झारखंड आवास बोर्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु इसके गठन वर्ष (2001) से प्रस्तुत नहीं किये गये, तथापि अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया जा रहा है।

¹ (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.), (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), (iv) राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) तथा (v) झारखंड आवास बोर्ड, राँची।

3.3 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) खण्ड-I एवं खण्ड-II के नियम 318 के अनुसार, आकस्मिक प्रभार को बिना किसी सहायक अभिश्रव के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 38) पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आहरित किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा-शीर्षों के अंतर्गत विकलित किया जाता है और नियंत्रक अधिकारी² द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सहायक उप-अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39)³ में संबंधित माह के अगले माह⁴ के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु उपस्थापित प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि पिछले माह आहरित ए.सी. विपत्र के लिए विस्तृत विपत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रक अधिकारी को सौंप दी गई है (झा.को.सं. का नियम 319)।

16 मई 2016 तक ₹ 5,471 करोड़ के बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को छोड़कर वर्ष 2000-16 के दौरान आहरित कुल ₹ 17,081 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध कुल ₹ 11,610 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुए। वर्ष-वार ब्यौरे तालिका 3.9 में दिये गये हैं।

तालिका 3.9 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		सौंपे गए डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2013-2014 तक	54563	15135	44352	11235	10211	3900	26
2014-2015	550	721	534	316	16	405	56
2015-2016	851	1225	95	59	756	1166	95
कुल	55964	17081	44981	11610	10983	5471	32

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

² यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर कर सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जा सकता है।

³ झा.को.सं. का नियम 320।

⁴ झा.को.सं. का नियम 322।

तालिका 3.9 में दिये अनुसार, वर्ष 2000-16 के दौरान आहरित कुल ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध बकाया डी.सी. विपत्रों की प्रतिशतता 16 मई 2016 तक 32 प्रतिशत थी। प्रमुख गैर-जिम्मेवार विभाग 'ग्रामीण विकास विभाग' (₹ 1,357 करोड़), 'कल्याण विभाग' (₹ 893 करोड़), 'महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग' (₹ 536 करोड़), 'स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग' (₹ 525 करोड़), तथा 'गृह विभाग' (₹ 497 करोड़) थे। पिछले वर्ष के 56 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण ए.सी. विपत्रों से आहरित की गई राशि का 95 प्रतिशत था। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संबंधित वर्ष के दौरान राज्य का व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों में आहरित अग्रिम की सीमा से अधिक बताया गया। विभाग-वार तुलनात्मक बकाया डी.सी. विपत्रों को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.10 : बकाया डी.सी. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक ब्यौरे

क्र. सं.	विभाग का नाम	02.12.16 को बकाया डी.सी. विपत्र (₹ करोड़ में)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ग्रामीण विकास विभाग	47.38	34.86	37.08	111.72	260.94
2	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	3.57	0.08	0.27	0.11	221.71
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5.26	30.12	0.18	0.10	83.72
4	कल्याण विभाग	30.63	95.45	114.48	8.01	77.36
5	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	0.97	0.34	32.21	24.89	71.94
कुल		87.81	160.85	184.22	144.83	715.67

जैसा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, डी.सी. विपत्रों की एक बड़ी राशि ग्रामीण विकास तथा गृह विभाग के विरुद्ध बकाए थे जो वर्ष-दर-वर्ष महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता रहा।

नगर विकास एवं आवास (न.वि. एवं आ.) विभाग के द्वारा ए.सी. विपत्र पर आहरित राशि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया था। हमलोगों ने देखा कि वर्ष 2013-14 के बाद ए.सी. विपत्र आहरित नहीं किए गए। मार्च 2014 तक आहरित ए.सी. विपत्रों की स्थिति तालिका 3.11 में दिखलाया गया है।

तालिका 3.11 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र	
	ए.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि
2215	3	0.41	2	0.34	1	0.07
2217	50	703.27	26	471.37	24	231.90
2251	29	7.89	17	5.79	12	2.10
4217	19	2880.04	5	35.97	14	2844.07
कुल	101	3591.61	50	513.47	51	3078.14

- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि मार्च 2014 तक आहरित ₹ 3,591.61 लाख के ए.सी. विपत्रों में से ₹ 3,078.41 लाख (85.71 प्रतिशत) के विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा) नहीं किए गए थे। जुलाई 2016 तक बकाया ₹ 3,078.41 लाख में से, ₹ 2,844.07 लाख पूँजीगत सृजन हेतु प्रदान किए गए थे। आगे, ₹ 75.83 लाख सहायता अनुदान के रूप में दिये गए थे परंतु आठ ए.सी. विपत्रों द्वारा आहरित दिखलाए गए जो विचाराधीन थे।
- जाँच नमूना के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2004-14 के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग में ए.सी. विपत्रों से आहरित की गई ₹ 3,591.61 लाख में से, ₹ 3,465.72 लाख की राशि अर्थात् 96 प्रतिशत मार्च माह में आहरित किया गया जो इंगित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजटीय अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि को ए.सी. विपत्रों पर आहरित किया गया था।

3.4 दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पत्ति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, उच्चतर पदाधिकारियों, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए, चाहे जब कभी इसके लिये जिम्मेवार पार्टी द्वारा ऐसे हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य दिया जाना चाहिए; जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा हेतु सूचना उपलब्ध कराने (14 जुलाई 2016 एवं 04 अक्टूबर 2016) के जवाब में वित्त विभाग से कोई भी सूचना अक्टूबर 2016 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

3.5 राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता है। पूँजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है अथवा अनुक्रमित स्थायी दायित्व का होता है। फिर भी, वर्ष के दौरान सरकार ने राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 'मुख्य कार्य' को त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 7.80 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई एवं व्यय की गई, जिसे **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों एवं राजस्व अधिशेष को इस सीमा तक कम करके बताया गया।

भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.)-2 के अनुसार सहायक अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार ने बजट प्रावधान किया और पूँजीगत मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत ₹ 8.15 करोड़ की राशि वर्गीकृत किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष एवं पूँजीगत परिव्यय को इस सीमा तक अधिक बताया गया। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था, परंतु सुधार नहीं किया गया।

3.6 निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.)/बैंक खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों को व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 552 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की पड़ी सभी राशि, प्रत्येक वर्ष मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने से निषेध करती है।

वर्ष 2015-16 के लेखा के मुख्य शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देन से संबंधित व्हाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकृत आँकड़े एवं वित्त लेखे की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2016 तक राज्य में 107 व्यक्तिगत बही खाते थे।

वर्ष 2013-14 को छोड़कर वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान पी.एल. खाते के अधीन अंत शेष सतत् रूप से बढ़ा। वर्ष 2015-16 के दौरान यह पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 5,217.97 करोड़ (56.70 प्रतिशत) तक बढ़ा जिसे **तालिका 3.12** में दिखाया गया है।

तालिका 3.12: व्यक्तिगत बही खाते में राशियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43
2013-14	2954.43	2613.93	2970.86	2597.50
2014-15	2597.50	5155.09	4422.64	3329.95
2015-16	3329.95	12054.22	10166.20	5217.97

तालिका 3.12 से देखा जा सकता है कि ₹ 5,217.97 करोड़ की राशि को मार्च 2016 के अंत में पी.एल. खाते में रखा गया। कुछ मुख्य सेवा शीर्ष जिससे बजट को पी.एल. खाते में अंतरित किया गया, 2203 (तकनीकी शिक्षा), 2217 (शहरी विकास), 2415 (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा), 2515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम), 2851 (ग्रामीण एवं लघु उद्योग), इत्यादि हैं।

अतएव, सरकारी धन राशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 331 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की शेष राशि, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। इस प्रकार, राज्य सरकार ने व्यय के आँकड़े को ₹ 5,217.97 करोड़ तक अधिक बताया, चूँकि जो सेवाएँ उपलब्ध कराने के दावे किये गये थे, प्रदान नहीं किये गये।

वित्तीय अटेस्ट विंग में अभिश्रवों के नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया कि जिला योजना समिति, दुमका द्वारा संस्वीकृत स्कीमों के विरुद्ध शीर्ष 2053-00-796-11 (राज्य योजना अनाबद्ध निधि) के अधीन ₹ 129.71 करोड़ की राशि प्रदान की गई। मार्च 2016 तक कोई योजना संस्वीकृत नहीं था, परंतु निधि की राशि व्यपगत होने से बचाने के लिए समस्त राशि जिला योजना समिति द्वारा भविष्य में स्कीमों के अनुमोदन की प्रत्याशा में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रखण्ड, दुमका के जमा शीर्ष-8782 में जमा किया गया।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि

लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की प्रविष्टि प्राप्ति और व्यय के अस्पष्ट वर्गीकरण समझे जाते हैं क्योंकि ये शीर्ष योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि, जिससे ये राशियाँ संबद्ध होती हैं, को उदघाटित नहीं करती हैं। इन लघु शीर्षों में सामान्यतः वही प्राप्ति/व्यय सन्निहित होते हैं जो उपलब्ध कार्यक्रम के लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं अथवा

बजट तैयार करने के स्तर पर उपलब्ध लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय के गलत पहचान के कारण हुए हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 15 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹ 1,155.07 करोड़ की राशि दर्ज की गई जिसमें से राजस्व एवं पूँजीगत संभाग के 10 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 691.54 करोड़ (इन शीर्षों में कुल व्यय ₹ 3,203.79 करोड़ का 21.59 प्रतिशत) के व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जिसे **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 47 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,425.54 करोड़ की राशि दर्ज की गई जिसमें से 31 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1244.37 करोड़ (₹ 1,555.79 करोड़ के कुल प्राप्तियाँ का 79.98 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामले में कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक) "800-अन्य प्राप्तियाँ" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। 11 मुख्य शीर्षों की सम्पूर्ण प्राप्तियाँ लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जिसे **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अंतर्गत विशाल राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

3.8 रोकड़ शेष में अंतर

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा प्रतिवेदित राज्य सरकार के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (31.03.2016 तक) के बीच ₹ 10.94 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा आँकड़ों के असमाशोधन के कारण है। ₹ 10.94 करोड़ (निवल क्रेडिट) में से, ₹ 9.33 करोड़ समाशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास है जबकि अक्टूबर 1987 के पूर्व अवधि की ₹ 1.61 करोड़ की राशि राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समायोजन/माफ करने हेतु विचाराधीन है।

3.9 लेखे की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखे में होने वाले कुछ लेन-देन, प्राप्तियाँ एवं भुगतान जिनको तुरन्त उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से प्राप्ति या व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है, को उचंत शीर्ष के अधीन अस्थायी रूप से दर्ज किया जाना है। ये शीर्ष ऐसे लेन-देन के लिए जवाबदेह संबंधित ब्यौरे/सूचना, ऋण, जमा और प्रेषण शीर्ष लेखे की प्राप्ति पर निपटाये जाते हैं जहाँ लोक धन के संरक्षक के रूप में सरकार इस प्रकार की धनराशि प्राप्त करती है और अपने पास रखती है।

वित्त लेखे 2015-16 की शुद्धता प्रतिकूल रूप से उन अवयवों द्वारा प्रभावित होती रही है जो उचंत शीर्ष के अंतर्गत बड़ी संख्या में लेन-देनों को अंतिम वर्गीकरण हेतु प्रतीक्षारत है।

• **प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष**

उचंत शीर्ष के नाम से कहे जाने वाले कुछ मध्यस्थ/समायोजन लेखा शीर्षों को प्राप्तियाँ एवं भुगतानों के लेन-देन प्रतिबिंबित करने के लिए सरकारी लेखे में संचालित किए जाते हैं जिनको तुरन्त उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा किसी अन्य कारणों से लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे लेखा शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निपटारे जाते हैं। यदि ऐसी राशियाँ असमाशोधित रह जाती हैं तो, उचंत शीर्ष के अधीन शेषों को जमा होंगे तथा सही रूप से सरकारी प्राप्त एवं भुगतान को प्रभावित नहीं करेंगे। कुछ प्रमुख उचंत लेखा शीर्षों के अधीन शेष, जो राज्य के वित्त लेखे में प्रतिबिंबित हुए हैं, तालिका 3.13 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 3.13 : उचंत शीर्ष (8658) के अन्तर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	10.56	---	11.47	---	19.10	---
निवल	डेबिट 10.56		डेबिट 11.47		डेबिट 19.10	
102 उचंत लेखा (सिविल)	1.86	0.92	1.10	0.00	6.72	5.76
निवल	डेबिट 0.94		डेबिट 1.10		डेबिट 0.96	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2015-16

वित्त लेखे इन शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करते हैं। बकाया डेबिट और क्रेडिट को जोड़कर बकाया शेष तैयार किये जाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत शेषों की जटिलताओं की चर्चा नीचे की गई है:

• **वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) उचंत**

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी की पुस्तिकाओं में दर्ज किये गये अंतर्विभागीय तथा अंतर्शासकीय लेन-देन के समायोजन हेतु इस लघु शीर्ष को संचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अधीन लेन-देन या तो प्रभावित वसूली को अथवा एक लेखा अधिकारी की ओर से दूसरे लेखा अधिकारी, जिसके विरुद्ध लघु शीर्ष "वेतन एवं लेखा अधिकारी उचंत" संचालित किया गया है, द्वारा किये गये भुगतान को प्रस्तुत करते हैं। इस शीर्ष के अधीन क्रेडिट को ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा तभी समायोजित किया जाता है जब उस लेखा अधिकारी, जिनके पुस्तिका में प्रारम्भिक वसूली दर्ज किया गया था, द्वारा चेक जारी किया

जाता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी उचंत के अधीन डेबिट को उस लेखा अधिकारी, जिसकी ओर से भुगतान किया गया था, से चेक की वसूली एवं प्राप्त के पश्चात् ऋणात्मक डेबिट द्वारा समायोजित किया जाता है। इस शीर्ष के अधीन बकाया डेबिट शेष का अर्थ यह है कि भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा किया गया है जिसकी वसूली अभी की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ यह है कि भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा प्राप्त किया गया है जिसका भुगतान अभी किया जाना है। इस शीर्ष के अधीन निवल डेबिट शेष (₹ 19.10 करोड़) दर्शाता है कि इस राशि के निपटारे/समायोजन के पश्चात् राज्य सरकार के रोकड़ शेष में बढ़ोत्तरी होगी।

• **उचंत खाता (सिविल)**

क्षणिक लघु शीर्ष जैसे लेन-देन के लेखांकन हेतु संचालित किया जाता है जिसे कुछ सूचना/दस्तावेजों यथा व्हाउचर, चालान आदि के अभाव में प्राप्त या व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को दर्ज करने हेतु क्रेडिट किया जाता है तथा किये गये व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। वांछित सूचनाओं/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर, इस लघु शीर्ष को लेखाओं से संबंधित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्ष के प्रतिकूल डेबिट अथवा क्रेडिट अनुसार ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अधीन बकाया डेबिट शेष का अर्थ जैसे किये गये भुगतान से है जो व्हाउचर आदि जैसे ब्यौरे के अभाव में अंतिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका हो। इस शीर्ष के अधीन बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ जैसे प्राप्त की गई राशि से है जो ब्यौरे के अभाव में अंतिम प्राप्त शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका हो। इस शीर्ष के अधीन निवल डेबिट शेष (₹ 0.96 करोड़) वर्ष के दौरान मूल रूप से घटी है। इस मद के समाशोधन से रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

3.10 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट 2.4.4 (विगत वर्षों के सापेक्ष प्रावधान से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति ने पूर्व में ही परिचर्चा किया तथा दिनांक 13.01.2014 को ₹ 8,120.63 करोड़ में से प्रावधान से आधिक्य व्यय की राशि ₹ 8,120.12 करोड़ को विनियमित किया था। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य किसी भी व्यय का विनियमितिकरण नहीं किया गया।

3.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2000-15 के दौरान आहरित किये गये सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) विपत्रों के विरुद्ध 31 मार्च 2016 तक ₹ 22,325.68

करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग में ₹ 2,399.08 करोड़ बकाये थे। जी.आई.ए. विपत्र की बड़ी राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति, विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करें।

लेखे तथा स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उपस्थापन

- सरकारी विभागों ने अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत नहीं किये। विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानमंडल में उपस्थापन की स्थिति की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नहीं दिया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा निधियों की निकासी

- विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-16 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित की गई ₹ 5,471 करोड़ की विशाल राशि 16 मई 2016 तक बकाया रह गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को ससमय जमा करना सुनिश्चित करे।

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना


- मार्च 2016 के अंत तक व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 5,217.97 करोड़ की विशाल राशि शेष थी। विधानमंडल द्वारा चालू वर्ष के लिए पारित की गई बजटीय निधियों को आगामी वर्षों में व्यय के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण, वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि कोषागारों के कंप्यूटराईजेशन का लाभ उठाते हुए, राज्य सरकार वैध अवधि के पश्चात व्यक्तिगत बही खाते के स्वतः बन्द होने और अप्रयुक्त शेष राशियों का संचित निधि में अंतरण होने की प्रणाली अपनाने पर विचार करे।

लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत बुकिंग

- प्राप्तियाँ और व्यय की एक विशाल राशि (₹ 2,580.61 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी जो वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्राप्तियाँ/व्यय जिसे अन्य उपलब्ध प्रोग्राम लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को ही केवल लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया जाए।



(सी. नेडुन्चेलियन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

राँची

दिनांक : 30 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 01 फरवरी 2017



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक